न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(परशुराम धानका, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या:- 30/2019
प्रविष्टि दिनांक:- 11.09.2019

देवकरण पुत्र रूघा जाति गुर्जर आयु 62 वर्ष निवासी ठाठा तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक
.... अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक (राज0)
.... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. टि.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 16.08.2019 तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक मिसल नम्बर 143/2019

उपस्थित: (1)श्री हंसराज धाकड़, अभिभाषक अपीलाण्ट
(2)श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 08.08.2022**

संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक ने हलका पटवारी काकलवाड़ तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक की रिपोर्ट पर अपने आदेश दिनांक 16.08.2019 के द्वारा अपीलांट को भूमि खसरा नम्बर 116 में से रकबा 1.75 है. किस्म चरागाह वाके ग्राम ठाठ तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक का अतिक्रमी मानकर अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर धारा 91(3) भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तीन माह के सिविल कारावास व लगान राशि 8.75 रूपये का 50 गुना पेनल्टी जुर्माना राशि 438/- रूपये आरोपित कर अपीलांट को बेदखल किए जाने का आदेश पारित किया है। इस निर्णय को विधि विधान एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के विपरित होने व बिना तथ्यों का विवेचन एवं मनन किए पारित किए हुए होने से अपास्त किए जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश अपीलांट की किसी तरह की विधिवत रूप से प्रोपर तामिल कराये बिना एवं बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा में पारित किया है, तामिल नोटिस पर गलत हस्ताक्षर कर, तामील बता कर जो विधि विरूद्ध हैं। अपीलांट वृद्ध व्यक्ति हैं तथा मौके पर अपीलांट किसी तरह से कोई काश्त नहीं करता हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हलका के सशपथ बयान लिये बिना अतिकमण वाली जमीन के नजदीक के खातेदारों के बयान लिये बिना, व बिना मौके पर गये व मौके की वास्तविक रूप से बिना जांच किए निर्णय पारित किया हैं। पूर्व में अपीलांट को किस खसरा नम्बर, पर किस मिसल द्वारा कब-कब बेदखल किया गया था, इसका भी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

कोई उल्लेख नहीं हैं। अपीलांट का खसरा नम्बर 116 या अन्य किसी सरकारी जमीन पर न तो पहले कोई कब्जा था और ना ही वर्तमान में कोई कब्जा हैं। अतः उपरोक्त सभी कारणों से अपील स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2019 मिसल नम्बर 143/2019 उनवानी प्रकरण रिपोर्ट हलका पटवारी रिपोर्ट काकलवाड़ (सरकार) बनाम देवकरण को निरस्त किए जाने के आदेश फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया है जिस पर अपीलांट के पुत्र की तामील हुई हैं। पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में भी अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि खसरा भूमि 116 रकबा 0.25 हैक्टर पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 612/2018 दिनांक 25.10.2018 से बेदखल किया गया था जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्रमाणित है। पुनः अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 116 रकबा 1.75 है. चारागाह भूमि पर कब्जा कर ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हैं, जिससे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना साबित हैं, जो कि पटवारी हल्का काकलवाड़ तहसील टोडारायसिंह की रिपोर्ट से स्पष्ट हैं। अपीलांट चरागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी हैं। अतः तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2019 उचित है एवं अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है जिस पर अपीलाण्ट के पुत्र की विधिवत रूप से तामील हुई है किन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि खसरा भूमि 116 रकबा 0.25 हैक्टर पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं. 612/2018 दिनांक 25.10.2018 से बेदखल किया गया था जो कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्रमाणित है। पुनः अपीलांट ने खसरा नम्बर 116 रकबा 1.75 है. चारागाह भूमि पर कब्जा कर ज्वार की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हैं जिससे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना साबित हैं, जो कि पटवारी हल्का काकलवाड़ तहसील टोडारायसिंह की रिपोर्ट से स्पष्ट हैं। अपीलांट चरागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी हैं। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनांक 16.08.2019 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([redacted])
अतिरिक्त जि[redacted]कलेक्टर,
टोंक।